

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 01/2024

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोंडेन्ट

हडमानराम पुत्र नेमाराम जाति हरिजन गिवारी
सिरासना तहसील डेगाना जिला नागौर।

नायब तहसीलदार डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :-


1. श्री पवन श्रीमाली अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोंडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 29.08.2024

{1}-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 273/2023 सरकार बनाम हडमानराम में निर्णय दिनांक 01.11.2023 के तहत मौजा सिरासना की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 20.12.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 01.01.2024 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांत द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.11.2023 की फोटोप्रति, अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 273/23 सरकार बनाम हडमानराम के फर्द अहकाम दिनांक 26.10.23 से 01.11.2023 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, राशनकार्ड की फोटोप्रति, आधार कार्ड की फोटोप्रति, जन आधार कार्ड की फोटोप्रति, श्रमिक कार्ड की फोटोप्रति, बिजली बिल की प्रति, अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब की फोटोप्रति पेश की।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि पटवारी हल्का सिरासना ने अपीलार्थी के विरुद्ध एक मिथ्या अतिक्रमण रिपोर्ट तहसील कार्यालय डेगाना में पेश करके ग्राम सिरासना के खसरा नम्बर 629 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म गे.मु. गोचर पर सवत 2080 के मकान बना कर अनाधिकृत कब्जा करने की पेश की, जिस पर अपीलांत को उक्त प्रकरण का नोटिस प्राप्त हुआ, तत्पश्चात अपीलांत ने जैसी जानकारी थी उसके अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में नोटिस का जवाब पेश कर निवेदन किया कि उसके विरुद्ध अतिक्रमण रिपोर्ट गलत पेश की है उसका कोई नया कब्जा नहीं है पुराने समय से कच्चा मकान रहा है व उसमें विद्युत पानी के कनेक्शन लिये हुए है इसके अलावा अन्य कोई परिवार के निवास की जगह नहीं है इस कारण नोटिस की कार्यवाही को ड्रॉप करने का निवेदन किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को आगामी सुनवाई की कोई सूचना, नोटिस दिये बिना तथा पटवारी आदि के बयान लिये बिना व जिरह आदि करवाये बिना एकाएक दिनांक 01.11.2023 को अपीलांत को अतिक्रमी मान कर बेदखल किये जाने व दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान दर 50 गुणा 20 रुपये के दण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय दिनांक 01.11.2023 को पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की। चूंकि अपीलांत ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ व्यक्ति है उसने तहसील में जवाब पेश किया तब उसे यही कहा गया कि आगे की सुनवाई का नोटिस देकर बुला लिया जायेगा व आगे की कोई पेशी अपीलांत को बताये बिना ही उसी दिन आनन फानन में उक्त निर्णय पारित कर दिया व उसके आधार पर अंतिम नोटिस दिनांक 07.11.2023 का जारी किया हुआ मिला, जिस पर अपीलांत ने प्रकरण की नकलो का आवेदन पेश कर निर्णय की प्रमाणित प्रति दिनांक 13.12.2023 को प्राप्त की, जिससे यह अपील को न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो जानकारी से अंदर मियाद है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने वावत् आवेदन पेश किया। न्याय हित में देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार


अपर कलक्टर, नागौर

की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि—

[2]—उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि—

[2](I)— आदेश जैर अपील कतई गलत, विधि विरुद्ध व अत्यधिक जल्दबाजी मे बिना किसी अर्जेन्सी के आनन फानन में पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

[2](II)— अधीनस्थ न्यायालय में पटवारी हल्का ने संवत 2080 में कब्जा करने की सरासर गलत, मिथ्या रिपोर्ट पेश की थी जबकि मौके पर अपीलांट का कच्चा मकान 40-50 वर्षों पुराना था, जिस पर अपीलांट ने प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्के मकान का निर्माण करवाया तथा अपीलांट के मकान के आस पास चारों तरफ मकान बने हुए है घनी आबादी बसी हुई है व इसी मकान में रहते हुए समय समय पर ग्राम पंचायत व सरकारी विभाग ने सर्वे करके अपीलांट व उसके परिवार के राशन कार्ड, जन आधार कार्ड आदि दस्तावेजात जारी किये गये है इतना ही नहीं उक्त मकान में विद्युत कनेक्शन भी जारी किया हुआ है कभी किसी को कोई आपति नहीं रही है कथित भूमि मौके पर गोचर नहीं है तथा चारो तरफ आबादी बसी हुई है गौचर किस्म गलत दर्ज होने के कारण व व की राजनैतिक रंजिश के चलते अपीलांट के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट करवा कर उक्त निर्णय पारित करवाया गया है जिससे निर्णय जैर अपील अपास्त/निरस्त/संशोधित किये जाने योग्य है।

[2](III)— नायब तहसीलदार ने अपने स्वयं के स्तर पर मौका निरीक्षण तक नहीं किया है यदि मौके पर आकर मौके के हालात देखते तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती, क्योंकि मौके पर न केवल अपीलांट का बल्कि अनेको मकानात बने हुए है इतना ही नहीं सरकारी योजना अनुसार चयन होकर अपीलांट के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत होकर सरकार द्वारा कच्चे मकान के स्थान पर पक्का मकान भवन निर्माण करवाया हुआ है व शौचालय बनवाया हुआ है उस समय भी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, पटवारी, तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच वगैरा सभी की सहमति से इस खसरा भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृतियां हुई है इसके बावजूद अब एकाएक इस तरह से मिथ्या रिपोर्ट करके तहसील कार्यालय में पेश कर निर्णय जैर अपील पारित करवाया गया है जो विधि सम्मत नहीं है।

[2](IV)—अपीलांट का कब्जा वर्षों पुराना है यही एक मात्र उसके परिवार के निवास की जगह है अन्य कोई जगह या जमीन अपीलांट के पास नहीं है तथा अपीलांट का पुराना कब्जा व निवास होना सरकारी दस्तावेजो से भी साबित है इसके बावजूद पटवारी हल्का ने संवत 2080 में मकान निर्माण करने व कब्जा करने की मिथ्या रिपोर्ट कर दी व पटवारी के कोई बयान लिये बिना व उससे अपीलांट को जिरह का अवसर दिये बिना अत्यधिक जल्दबाजी में ही जिस दिन जवाब पेश किया उसी दिन अतिक्रमी घोषित कर निर्णय बेदखली का अपीलांट के विरुद्ध पारित करने में भारी कानूनी भूल की है।

[2](V)—अपीलांट अत्यधिक गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा इस जगह पर जीवनभर की मेहनत मजदूरी करके पूर्व में कच्चा निवास बनाया व बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा भी अन्य राशि अपनी ओर से खर्च करके पक्का निर्माण कर पक्का मकान बनवाया हुआ है मौके पर गौचर भूमि होने के कोई अलामात नहीं है लम्बे अर्से पूर्व सर्वे हुआ उसमें भी अपीलांट का बाडा, निवास माना गया था तथा पुराने कब्जा के आधार पर समय समय पर सरकारी परिपत्रों के अनुसार अपीलांट नियमन का हकदार होते हुए भी नियमन नहीं करके सरकारी शिविरों में जल्द ही पूरे मकानों के पट्टे जारी करने व नियमन करने के आश्वासन दिये जाते रहे व पुराने कब्जा निवास में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की जिससे अपीलांट को पट्टा आदि की सख्त आवश्यकता भी नहीं रही व गांव में अधिकतर लोगो के पास पट्टे वगैरा नहीं है पुराना कब्जा ही स्वामित्व का आधार होता है तथा अपीलांट के मकान के आस पास अनेको मकानात बने हुए है तथा मकान को ध्वस्त कर अपीलांट को बेदखल कर दिया तो अपीलांट को अपूर्णाय क्षति होगी, अपीलांट के परिवार का जीना दुश्वार हो जायेगा, जबकि यहां अपीलांट के निवास करने से किसी भी प्रकार की कोई उजर आपत्ति कभी भी किसी नागरिक को नहीं रही, न ही पूर्व मे किसी ने शिकायत की है बल्कि सरकारी विभागो ने भी कब्जा व निवास विधिवत मान कर दस्तावेजात समय समय पर बनाये गये है ऐसी स्थिति मे गरीब परिवार का आशियाना उजाडने व एकाएक बेदखल करने का निर्णय पारित करने में भारी भूल की है।

29/6/24
अपर क्लर्क, नागौर


{2}(VI)- अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत सुनवाई किये बिना ही केवल मात्र अपीलांट के विरुद्ध बेदखल कर निर्णय करने के आशय से ही उक्त पत्रावली कायम की गयी है क्योंकि दिनांक 26.10.20023 को पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करना बताया व उसी दिन नोटिस जारी कर पेशी दिनांक 01.11.2023 को नियत की गयी व दिनांक 01.11.2023 को अपीलांट ने जवाब पेश कर दिया और उसी दिन बेदखली का निर्णय पारित कर दिया जो चौंकाने वाला निर्णय है निरंकुश निर्णय की श्रेणी में आता है क्योंकि विधिवत प्रक्रिया अपनाने पर अपीलांट को साक्ष्य सबूत का अवसर दिया जाता, पटवारी के बयान करवाये जाते, उससे जिरह का अवसर दिया जाता व अन्य साक्ष्य सबूत लेकर मौका जांच करके उसके पश्चात ही निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होते हुए भी बिना किसी अर्जेन्सी के जवाब के तथ्यों का खुलासा विवेचन विश्लेषण किये बिना आनन फानन में बेदखल का त्रुटिपूर्वक निर्णय जैर अपील पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा सिरासना में स्थित गै. मु. गोचर पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 273/2023 सरकार बनाम हडमानराम में निर्णय दिनांक 01.11.2023 के तहत मौजा सिरासना की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है, अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. गोचर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(चम्पालाल जीन्डल)
अपर कलक्टर,
नागौर
अपर कलक्टर, नागौर